न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2016 (राजसमन्द डिकी)

श्रीमती नोसीबाई पत्नी डालूराम जी जाट, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सन्तोकी पुत्री वेणा जी जाट पत्नी बालु जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा हाल भोलीखेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
2. डालुराम पिता मोजीराम जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
3. भैरूलाल पिता जयसिंह जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
4. अम्बालाल पिता जयसिंह जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
5. मु. कजाड बेवा जयसिंह जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
6. चतरभुज उर्फ चम्पा पिता कालू जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
7. मियाराम उर्फ मियाचन्द पिता कालू जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

7/1. हरिदेवी बेवा स्वर्गीय मियाराम जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

7/2. रोशन पुत्र स्वर्गीय मियाराम जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

7/3. बाली पुत्री स्वर्गीय मियाराम जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

8. मु. हांसी बेवा हजारी जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमट जिला राजसमन्द (राज.)
9. माधवलाल पिता हजारी जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

10. नारायण पिता नगजी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

11. शंकर पिता नगजी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

12. मु. देऊ बेवा नगजी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

13. मु. मांगीबाई पत्नी लोभचन्द जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

14. नोसी पुत्री हजारी जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

15. इन्द्रा पुत्रो हजारी जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

16. शंकर पिता जेसींग जी जाट, निवासी ओलता खेड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 15.06.2016, प्र. सं. 19/14

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री डी.सी. शक्तावत अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक रे.सं.1
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17

———:::———

निर्णय दिनांक

28—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव ओलना

खेड़ा में वादिया के पिता वेणा जी के अकेले व संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है, जिनका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 1 के ''क'' से ''ड'' में किया है। वादिया वेणा जो की एक मात्र संतान होकर वेणा जी की मृत्यु पश्चात वादिया का हक हिस्सा विद्यमान है, किन्तु वेणा जी की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 2 जो वादिया के काका हैं, के नाम मिली भगत से खोल दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वाद वर्णित भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विकय कर दिया गया है, जो वादिया के मुकाबले शून्य है। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के पैरा नंबर 6 वर्णित अनुसार वादिया को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 15–06–2016 से वादीया का वाद स्वीकार कर डिकी किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–08–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं को देखने से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के प्रावधानों की अनदेखी की है। अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 14–05–2013 से कय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा मौके पर काबिज है, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। राजस्व लोक अदालत की अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है

तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरे 2013 (O) सुप्रीम टुडे (पंजाब एण्ड हरियाणा) पेज 1471, 2012 (O) सुप्रीम टुडे (पटना) पेज 1103 एवं 2016 (O) सुप्रीम टुडे (केरला) पेज 405 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरे आर.आर.डी. 2009 पेज 603 एवं आर.आर.डी. 2008 पेज 233 प्रस्तुत की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरा राजस्व कैम्प में दिनांक 15–06–2016 को रखा जाकर वादिया की उपस्थिति में उसका वाद डिक्री कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट विपक्षी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....आमेट..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जाधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।